

भारत में नई शिक्षा नीति २०२० का वंचित समुदायों पर प्रभाव

डॉ. सिद्धार्थ राव

सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान)
राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय,
हनुमानगढ़ (राजस्थान)

डॉ. भावना

सहायक आचार्य (इतिहास)
राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय,
हनुमानगढ़ (राजस्थान)

सारांश

“भारत में नई शिक्षा नीति २०२० का वंचित समुदायों पर प्रभाव” विषयक यह शोध पत्र, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक न्याय और समावेशिता के दृष्टिकोण से एक आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० को भारत सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता, समानता, समावेशिता और लचीलापन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। यह नीति विशेष रूप से वंचित समुदायों जैसे— अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग छात्रों की शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है।

इस शोध में विभिन्न सरकारी आंकड़ों, रिपोर्टों और योजनाओं का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि नीति के उद्देश्यों और जमीनी हकीकत के बीच एक बड़ा अन्तर है। डिजिटल डिवाइड, संसाधनों की कमी, सामाजिक भेद और योजनाओं के निष्प्रभावी क्रियान्वयन जैसे मुद्दे वंचित वर्गों की शैक्षिक प्रगति में बाधक हैं। शोध में कुछ सफल पहलुओं का उल्लेख करते हुए, भविष्य की दिशा में नीति क्रियान्वयन को प्रभावी, उत्तरदायी और सहभागी बनाने के लिए ठोस सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं। यह अध्ययन सामाजिक समानता की दिशा में NEP २०२० की सम्भावनाओं और सीमाओं को उजागर करने की दिशा में एक प्रयास है।

मुख्य शब्द: नई शिक्षा नीति २०२०, वंचित समुदाय, समावेशी शिक्षा, सामाजिक न्याय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, माह भाषा शिक्षा।

शोध का उद्देश्य

यह शोध पत्र विशेष रूप से इस प्रश्न की पड़ताल करता है कि NEP २०२० की नीतियाँ वंचित समुदायों को सशक्त बनाने में कितनी प्रभावशाली है। क्या इस नीति में सामाजिक असमानता को कम करने की क्षमता है या यह पहले से मौजूद ‘डिजिटल डिवाइड’, ‘शिक्षा का निजीकरण’ और ‘संस्थागत भेदभाव को और गहरा करती है?

परिचय

भारत एक विविधतापूर्ण राष्ट्र है जहाँ विभिन्न जातीय, भाषाई, धार्मिक और आर्थिक वर्गों के लोग निवास करते हैं। इस बहुविविध समाज में शिक्षा को एक सार्वभौमिक आधार और सामाजिक समरसता का माध्यम माना गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद २१। सभी बच्चों को ६ से १४ वर्ष की आयु में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और आर्थिक सशक्तीकरण का उपकरण भी है।

विशेषकर वंचित समुदायों— जैसे अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए यह सामाजिक गतिशीलता का माध्यम है।

भारत की पारस्परिक शिक्षा प्रणाली गुरुकुल और मंदिरों के रूप में विद्यमान थी। औपनिवेशिक काल में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति (१८३९) के माध्यम से भारतीय शिक्षा को औपनिवेशिक प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप परिवर्तित कर एक ऐसा वर्ग तैयार करने का प्रयास किया गया जो न ही स्वाध्यायी हो और न ही

वैज्ञानिक दृष्टिकोण व तर्कशीलता युक्त हो बल्कि इसके द्वारा निम्न स्तर के प्रशासकों और क्लर्कों की फौज तैयार की गई। स्वतन्त्रता के पश्चात् १९६८ और १९८६ की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों ने देश हित में शिक्षा को अधिक समावेशी और सार्वभौमिक बनाने की दिशा में कार्य किया। १९८६ की नीति को १९९२ में संशोधित किया गया लेकिन तेजी से बदलते वैश्विक, तकनीकी और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इन नीतियों की प्रासंगिकता घटती चली गई।

२१वीं सदी में भारत की जनसंख्या संरचना, तकनीकी बदलाव, वैश्वीकरण और सामाजिक असमानताओं को देखते हुए शिक्षा क्षेत्र में एक समग्र और पुनर्संरचित दृष्टिकोण की आवश्यकता महसूस की गई। इसी परिप्रेक्ष्य में नई शिक्षा नीति २०२० (छम्ह २०२०) की घोषणा जुलाई २०२० में की गई जो ३४ वर्षों के बाद भारत में घोषित की गई पहली पूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और डिजिटल शिक्षा तक सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। नीति का उद्देश्य है— “शिक्षा को अधिक समावेशी, लचीला, बहु-विषयक और प्रौद्योगिकी-सक्षम बनाकर ज्ञान आधारित समाज की स्थापना करना। यह नीति २१वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप भारत के शैक्षिक ढांचे का पुनर्निर्माण करती है। इस नीति के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा को मजबूत करने हेतु ५+३+३+४ की संरचना अपनाई गई है जिसमें आंगनबाड़ी से लेकर कक्षा १२ तक का सम्पूर्ण ढांचा शामिल है। इसके अतिरिक्त मातृभाषा में शिक्षा, मूल्य आधारित शिक्षण, कौशल विकास, डिजिटल साक्षरता, उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना और बहुभाषिकता जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं।

परन्तु हम देख रहे हैं कि भारत का एक बड़ा हिस्सा आज भी सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिए पर है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम समुदाय, विकलांगजन और विशेष रूप से महिलाएँ शिक्षा तक समान रूप से वंचित रही हैं। उनके लिए शिक्षा न केवल आर्थिक अवसर प्रदान करती हैं बल्कि सामाजिक सम्मान, पहचान और भागीदारी का माध्यम भी बनती हैं।

NEP २०२० में 'Equity and Inclusion' को केन्द्रीय विषय बनाया गया है। यहां यह स्पष्ट उल्लेख

करना आवश्यक है कि शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। हालाँकि नीति के उद्देश्यों और भाषा में समावेशिता दिखाई देती है किन्तु प्रश्न यह उठता है कि क्या इन प्रावधानों का जमीनी प्रभाव वास्तव में वंचित समुदायों तक पहुँच पाएगा?

वंचित समुदायों की शिक्षा की वर्तमान स्थिति—

शिक्षा को किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति का आधार कहा जाता है। भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को शिक्षा का समान अधिकार प्रदान किया है परन्तु सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताओं के कारण शिक्षा का लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाता है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जनजाति (ST) अन्य पिछड़ावर्ग (OBC) अल्पसंख्यक (विशेषकर मुस्लिम) और दिव्यांग छात्र जैसे वंचित समुदाय अभी भी शैक्षिक दृष्टिकोण से विछड़े हुए हैं। भारत में इन वंचित समुदायों की शिक्षा की स्थिति ऐतिहासिक भेदभाव, सामाजिक पूर्वाग्रहों, आर्थिक असमानताओं और संस्थागत उपेक्षाओं से प्रभावित रही है। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद १५, १७ और २१। इन समुदायों को शिक्षा में समान अवसर प्रदान करने का आश्वासन देते हैं परन्तु जमीनी हकीकत इससे भिन्न दिखाई देती है।

भारत में इन वंचित समुदायों की शिक्षा की वर्तमान स्थिति मिश्रित संकेतों के साथ सामने आती है जहाँ एक ओर नामांकन दर में वृद्धि देखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर गुणवत्ता, पहुँच और निरन्तरता को लेकर चुनौती बनी हुई है।

इन समुदायों के बच्चों में प्रारम्भिक शिक्षा में शामिल होने की प्रवृत्ति तो बढ़ी है परन्तु ड्रॉप आउट दर अभी भी अधिक है, विशेषकर माध्यमिक स्तर पर। सामाजिक भेदभाव, गरीबी, डिजिटल संसाधनों की कमी, मातृभाषा में शिक्षण का अभाव और ग्रामीण-शहरी विषमता इसके प्रमुख कारण हैं। उच्च शिक्षा में भागीदारी की स्थिति और भी चिंताजनक है, जहां इन समुदायों का प्रतिनिधित्व उनकी कुल जनसंख्या के अनुपात से भी काफी कम है।

साक्षरता दर (२०२१ Census/NSO Data)

समुदाय	साक्षरता दर (%)	राष्ट्रीय औसत (%)
अनुसूचित जाति	६६.८०%	७७.७%
अनुसूचित जनजाति	५९.७७%	७७.७%

अन्य पिछड़ा वर्ग	८४:	७७.७:
मुस्लिम समुदाय	७४:	७७.७:
सामान्य वर्ग	९०:	७७.७:

ड्रॉप-आउट दर (UDISE, २०२१-२२)

स्तर SC(%) ST(%) OBC (%)

प्राथमिक ३.७% ५.९% २.८%

टिप्पणी ST में सबसे अधिक

माध्यमिक १८.६% २४.०% १६.५%

लड़कियों में दर अधिक

उच्च माध्यमिक २०% २७: १८%

मुस्लिम व आदिवासी छात्र सबसे अधिक प्रभावित

उच्च शिक्षा में भागीदारी (AISHE २०२३)

समुदाय भागीदारी (%) जनसंख्यामें अनुपात (%) अन्तर

SC १४% १६% थोड़ा कम

ST ५% ८.६% काफी कम

OBC ३६% ४१% लगभग संतुलित

मुस्लिम ४.५% १४% सबसे कम

अन्य वर्ग ४०% २०% सबसे अधिक

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत में वंचित समुदायों की शिक्षा की स्थिति अभी भी विषमता से ग्रस्त है। इनके अलावा अगर हम शैक्षिक गुणवत्ता और संसाधनों की बात करें तो सरकारी स्कूलों में संसाधनों की भारी कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में ४० प्रतिशत स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशाला नहीं है और ३८ प्रतिशत विद्यालयों में इंटरनेट सुविधा भी नहीं है। जाति आधारित भेदभाव बच्चों के आत्म-सम्मान और विद्यालय से जुड़ाव को प्रभावित करता है, जिस कारण वे स्कूल जल्दी छोड़ देते हैं। सरकारी पहलें जैसे समग्र शिक्षा अभियान, एकलव्य मॉडल विद्यालय, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाएँ इन असमानताओं को पाटने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं किन्तु जमीनी स्तर पर इनके प्रभाव को मजबूत करने की आवश्यकता है। इन परिस्थितियों में छम्ह २०२० एक नया अवसर तो है परन्तु उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह इन वास्तविक समस्याओं का समाधान कैसे करता है।

नई शिक्षा नीति के २०२० के प्रमुख प्रावधान—

भारत सरकार द्वारा २०२० में घोषित नई शिक्षा नीति ने हमारी शिक्षा व्यवस्था में एक व्यापक परिवर्तन

की रूपरेखा प्रस्तुत की है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा को अधिक समावेशी, लचीला, बहुविषयक और कौशल आधारित बनाना है ताकि यह २१ वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। नीति का एक बहुत बड़ा फोकस सबको समान अवसर प्रदान करना है ताकि वंचित, हाशिए पर खड़े और कमजोर समुदायों को शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ा जा सके।

नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा स्तर पर, पारम्परिक १०+२ संरचना को समाप्त कर ५+३+३+४ प्रणाली लागू की गई है जिससे बच्चों को प्रारम्भिक अवस्था से ही मजबूत आधारभूत शिक्षा प्रदान की जा सके। साथ ही, मातृभाषा या स्थानीय भाषा में कम से कम कक्षा ५ तक (यदि सम्भव हो तो कक्षा ८ तक) शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया है जो ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों के छात्रों के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसके अतिरिक्त, सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य रखते हुए २०३० तक १००% नामांकन प्राप्त करने का संकल्प लिया गया है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी मल्टी एन्ट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम को लागू किया गया है। साथ ही अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC) की स्थापना से छात्रों को विभिन्न संस्थानों से क्रेडिट अर्जित करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। यह व्यवस्था उन छात्रों के लिए सहायक है जो सामाजिक-आर्थिक कारणों से शिक्षा अधूरी छोड़ने को बाध्य हो जाते हैं।

NEP २०२० में शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउण्डेशन (NRF) की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है वहीं शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए २०३० तक चार वर्षीय समेकित बी. एड. कार्यक्रम को अनिवार्य किया गया है।

नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा संस्थानों के ढाँचे को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इण्डिया (HECI), नेशनल एकेडमिक्स काउंसिल (NAC) और नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी (NHERA) जैसी संस्थाओं की स्थापना का प्रस्ताव भी है। इसके अतिरिक्त, नीति में डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन लर्निंग पर भी विशेष जोर दिया गया है। “स्वयं”, “दीक्षा” और “ई-पाठशाला” जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सामग्री देश के दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुँचाने की योजना है। साथ ही कक्षा ६ से ही व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास को पाठ

यक्रम में शामिल कर रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य NEP २०२० में रखा गया है।

सम्पूर्ण रूप से, नई शिक्षा नीति २०२० शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित न रखकर ज्ञान, कौशल, शोध और मूल्य आधारित विकास पर केन्द्रित करती है। यह प्रावधान न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने की क्षमता रखते हैं बल्कि उन वर्गों तक शिक्षा की पहुंच बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध हो सकते हैं जो अब तक हाशिए पर रहे हैं।

वंचित समुदायों पर नई शिक्षा नीति का प्रभाव : एक आलोचनात्मक मूल्यांकन

नई शिक्षा नीति २०२० ने शिक्षा को अधिक लचीला, समावेशी और समतामूलक बनाने का लक्ष्य रखा है परन्तु इस नीति का प्रभाव उन समुदायों पर कैसा रहा है जो पहले से ही शिक्षा से वंचित रहे हैं— यह जानना अत्यन्त आवश्यक है। यह खंड इस बात का विश्लेषण करता है कि नीति के विभिन्न प्रावधानों का SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, EWS और विकलांग समुदायों पर क्या वास्तविक प्रभाव पड़े हैं और इसमें किस प्रकार की चुनौतियाँ और अवसर मौजूद हैं।

(I) सकारात्मक प्रभाव

(क) मातृभाषा आधारित शिक्षा—

NEP २०२० में कक्षा ५ (या ८) तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की अनुशंसा किया जाना जनजातीय उपसमूहों के लिये अत्यन्त ही हितकर है। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त होने पर बच्चों की सीखने की गति, आत्मविश्वास और स्कूल से जुड़ाव में वृद्धि होती है। उदाहरण के तौर पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में जब कोरकू, साओरा और गोंडी भाषाओं में शिक्षा दी गई तो ST छात्रों की उपस्थिति और परीक्षा परिणाम में सुधार दृष्टिगोचर हुआ।

(ख) डिजिटल शिक्षा में पहल—

DIKSHA, PM eVidya और SWAYAM जैसे पोर्टल्स ने दूरस्थ शिक्षा को नया आयाम दिया है। ऐसे वंचित विद्यार्थी जो भौगोलिक दृष्टिकोण से सीमित हैं अब इन पोर्टल्स के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इसका लाभ केवल उनको प्राप्त हो सकता है जो डिजिटल संसाधनों पर अपनी पहुंच रखते हैं — यही इसकी सबसे बड़ी सीमा भी है।

(ग) व्यावसायिक शिक्षा और स्किल डवलपमेंट—

NEP ने कक्षा ६ से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने का सुझाव दिया है जिससे गरीब और वंचित वर्ग के विद्यार्थी स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं व अपना करियर बना सकते हैं।

(घ) बहुविकल्पीय प्रवेश—निकास प्रणाली—

इस प्रणाली के अन्तर्गत कोई छात्र यदि उच्च शिक्षा बीच में छोड़ता है तो भी उसे एक प्रमाण—पत्र, डिप्लोमा या डिग्री मिल सकती है। यह प्रणाली उन छात्रों के लिए वरदान है जो आर्थिक, सामाजिक या पारिवारिक कारणों से पढ़ाई अधूरी छोड़ने को मजबूर होते हैं इनमें सबसे अधिक संख्या वंचित समुदायों की है।

(II) व्यावहारिक चुनौतियाँ

(क) डिजिटल चुनौती—

NEP २०२० के लाभों को सभी समुदायों तक समान रूप से पहुँचाने के लिए कुछ व्यावहारिक चुनौती भी इसके समक्ष उपस्थित होती है जिनमें प्रमुख है डिजिटल डिवाइड होना। देश के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में ६०: से अधिक परिवारों के पास स्मार्टफोन, लैपटॉप या इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। कोविड काल में लगभग ७५: वंचित समुदायों के छात्र ऑनलाइन शिक्षा से कट गए। १९ अप्रैल २०२१ के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के केवल २८: बच्चों ने नियमित रूप से ऑनलाइन क्लास ली। मुस्लिम और 'ज' समुदायों में तो यह आंकड़ा ओर भी कम था।

(ख) शिक्षक व संसाधनों की अनुपलब्धता—

SC व ST बहुल क्षेत्रों में प्रशिक्षित शिक्षकों, पुस्तकालय, लैब और डिजिटल डिवाइसेज का घोर अभाव है। NEP के कई प्रस्ताव तो केवल शहरी क्षेत्रों में और समृद्ध विद्यालयों में ही लागू हो पा रहे हैं।

(ग) मातृभाषा शिक्षा की बाधाएँ—

कई राज्यों में स्कूलों में केवल हिन्दी या अंग्रेज़ी माध्यम के शिक्षक उपलब्ध हैं। आदिवासी भाषाओं या बोलियों में शिक्षा के लिए प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध ही नहीं है। इससे नीति का एक बड़ा उद्देश्य मातृभाषा में प्रारम्भिक शिक्षा वंचित समुदायों के सन्दर्भ में अधूरा ही रह जाता है।

(घ) शिक्षा का निजीकरण—

NEP २०२० ने निजी संस्थानों को प्रोत्साहन दिया है और भविष्य में भी शिक्षा में निजी निवेश को बढ़ाने

का संकेत दिया है। ऐसे में शिक्षा महंगी होकर वंचित समुदायों के लिए ओर अधिक दूर हो जायेगी।

(ड) संस्थागत भेदभाव और सामाजिक अवरोध—

स्कूली व कॉलेज परिसरों में अब भी SC/ST छात्रों को 'अलग' समझा जाता है। यह असमानता आत्म विश्वास और प्रदर्शन पर विपरीत प्रभाव डालती है।

(III) योजनाओं और नीतियों का निष्प्रभावी क्रियान्वयन

नई शिक्षा नीति २०२० में वंचित समुदायों के लिए अनेक सकारात्मक योजनाएँ और संस्थागत ढांचे प्रस्तावित किये गये हैं। इसमें Gender Inclusion Fund] Special Education zones (SEZ) समावेशी पाठ्यचर्या, छात्रवृत्तियाँ, डिजिटल पोर्टल्स आदि शामिल हैं लेकिन जमीनी स्तर पर इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

(क) Gender Inclusion का सीमित क्रियान्वयन—

NEP २०२० के तहत यह कोष लैंगिक असमानता को खत्म करने व समावेशी शिक्षा का वातावरण बनाने हेतु बनाया गया था परन्तु वास्तविकता यह है कि अभी तक किसी भी राज्य के द्वारा इस कोष के लिए कोई स्वतन्त्र बजट का प्रावधान नहीं किया गया है। तथा ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए भी कोई जमीनी पहल नहीं हुई है।

(ख) Special Education Zones (SEZs) एक परिकल्पना—

NEP २०२० के अनुसार शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में SEZs बनाए जाने थे ताकि वहां शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच को बेहतर बनाया जा सके परन्तु यह व्यवस्था केवल एक परिकल्पना मात्र ही बन कर रह गई है। नीति घोषणा के ४ वर्षों बाद भी इस सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं तथा कुछ राज्य सरकारों ने तो इसे अस्पष्ट और जटिल बताते हुए अनदेखा कर दिया है।

(ग) छात्रवृत्ति योजनाओं का असफल क्रियान्वयन—

भारत में वंचित समुदायों हेतु अनेक छात्रवृत्ति योजनाएँ हैं जैसे प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ, मौलाना आजाद नेशनल फ़ैलोशिप, इशान उदय (पूर्वोत्तर भारत में) आदि। परन्तु यथार्थ स्थिति यह है कि अनेक छात्रों को इनके बारे में जानकारी ही नहीं होती तथा इनकी दस्तावेज़ी प्रक्रिया अत्यन्त जटिल होती है। २०२१ की षष्ठ रिपोर्ट के अनुसार प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियों में

लगभग २५: राशि घोषित लाभार्थियों तक पहुँची ही नहीं।

(घ) डिजिटल शिक्षा योजनाओं में पहुँच और प्रशिक्षण की कमी—

NEP २०२० में डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे DIKSHA, eVidya, NIOS और SWAYAM की महत्ता बताई गई थी ताकि दूरस्थ छात्रों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। परन्तु व्यावहारिकता यह है कि अधिकांश वंचित छात्रों के पास या तो स्मार्टफोन नहीं होता या डाटा नहीं होता। विद्यालयों में डिजिटल साक्षरता वाले शिक्षक व लैब उपलब्ध नहीं है। यह इसके क्रियान्वयन में बड़ी बाधा है।

(ड) निगरानी और मूल्यांकन की असंगत व्यवस्था—

नीति का कोई स्वतन्त्र निगरानी तन्त्र नहीं है जो देखे कि समावेशी योजनाएँ जमीनी स्तर तक पहुँच रही हैं या नहीं। साथ ही इसमें स्थानीय स्तर पर 'कड़वे' का गठन तो किया गया है परन्तु उनमें समाज के वंचित वर्गों की भागीदारी नगण्य है।

इस प्रकार नई शिक्षा नीति २०२० वंचित समुदायों के लिए एक अवसर भी है और चुनौती भी। इसके सिद्धान्त समावेशिता और समानता को प्रोत्साहित तो करते हैं परन्तु भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक विषमताएँ और संसाधन सम्बन्धी असमानताएँ इसके प्रभाव को सीमित कर देती हैं।

निष्कर्ष

भारत में वंचित समुदायों की शैक्षिक स्थिति ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं से गहन रूप से प्रभावित रही है। इस संदर्भ में NEP २०२० एक दूरदर्शी एवं समावेशी पहल के रूप में उभरती है जिसका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय और समान अवसरों की स्थापना करना है। नीति में मातृभाषा आधारित शिक्षण, व्यावसायिक एवं कौशल उन्मुख शिक्षा, डिजिटल संसाधनों का प्रसार Special Education Zones की स्थापना तथा छात्रवृत्ति एवं आर्थिक सहायता जैसी व्यवस्थाएँ वंचित वर्गों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो सकती हैं तथापि, डिजिटल अवसंरचना की अपर्याप्तता, गुणवत्तापूर्ण अध्यापन की कमी तथा सामाजिक-आर्थिक बाधाएँ इसके प्रभावी क्रियान्वयन में प्रमुख अवरोध के रूप में विद्यमान हैं। इसके बावजूद यह

तथ्य निर्विवाद है कि यदि इन प्रावधानों को सम्यक् रूप से लागू किया जाए और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तो छम्ह २०२० वंचित समुदायों की शैक्षिक स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने, सामाजिक असमानताओं को कम करने तथा भारत को समानता, सामाजिक न्याय और सतत विकास की दिशा में अग्रसर करने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।

संदर्भ सूची

- अग्रवाल, सुरेश चन्द्र (२०२१) भारतीय शिक्षा : चुनौतियाँ और सुधार की दिशा, इलाहाबाद : लोकभारती प्रकाशन।
- गोयल, बी.आर. (२०२१), भारतीय शिक्षा व्यवस्था और नयी शिक्षा नीति २०२०. जयपुर: राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
- भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय। (२०२०). राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२०. नई दिल्ली : शिक्षा मंत्रालय
- भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (२०१९) भारत में शिक्षा की स्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट, नई दिल्ली MHRD
- भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् (ICSSR) (२०२१). शिक्षा और सामाजिक न्याय, नई दिल्ली : आई.सी.एस.एस.आर प्रकाशन।
- कुमार, कृष्णा। (२०१८), शिक्षा, समाज और असमानता, नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन।
- झा, सुधा (२०२२) भारत में वंचित वर्ग और शिक्षा, वाराणसी, हिन्दी पुस्तक केन्द्र।
- तिलक, जे.बी.जी. (अनुवादित संस्करण, २०२१) राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० और सामाजिक समावेशन, नई दिल्ली : सेज प्रकाशन।
- नंदा, मधु (२०२०) नई शिक्षा नीति : स्वरूप और सरोकार, भोपाल : मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
- पांडेय, रमाशंकर (२०२१), शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, लखनऊ : हिन्दी साहित्य संस्थान।
- शर्मा, रामेश्वर प्रसाद (२०२१), शिक्षा और समाज : नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में, नई दिल्ली : प्रकाशन विभाग।
- यूनिसेफ भारत (२०२०), शिक्षा और समानता : स्थिति विश्लेषण रिपोर्ट, नई दिल्ली : यूनिसेफ।
- AISHE Report, 2022-23
- Annual Status of Education Report (ASER) 2022, Pratham Foundation.
- CAG Report on Scholarship Schemes, 2021
- RTE ROROM reports (2022) – Status of Implementation of RTE Act in Tribal Areas.